BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 30 मार्च 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पुलिस टीम पर फायर करने के 02 आरोपियों को 03 वर्ष 06 माह-03 वर्ष 06 माह का कारावास व 02-02 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- शमुशुद्दीन उर्फ शमशू पुत्र अली मौहम्मद निवासी मौ0 नयाबांस थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर, 2- सुलेमान पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम शेरपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड द्वारा वर्ष-2018 में पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17.03.2018 को थाना खानपुर पर मुअसं-83/2018 धारा-307 भादवि पंजीकृत किया गया तथा शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में मुअसं-84/18 धारा 25 शस्त्र अधिनियम बनाम शमशुद्दीन उर्फ शमशू पंजीकृत किया गया। दिनांक 18.07.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-03, जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शमशुद्दीन उर्फ शमशू व सुलेमान को 03 वर्ष 06 माह-03 वर्ष 06 माह का कारावास व 02-02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवीन कुमार राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर